बिहार सरकार
<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक – प्र06–रा0का0II–02/2013 2381 खाद्य, पटना/दिनांक 21-05-2018

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में निर्गत राशन कार्ड के संबंध में ।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक– 1316 दिनांक 23.02.2016, पत्रांक 3738 दिनांक 21.06.2016 पत्रांक 3995 दिनांक 05.07.2016, पत्रांक 269 दिनांक 24.01.2018 एवं पत्रांक 1161 दिनांक 03.03.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0– 8815 दिनांक 19.11.2015 एवं 923 दिनांक 08.02.2016 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों की पहचान करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किया गया है । उक्त के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत पहचान किये गये लाभुकों का सत्यापन कराते हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा स्क्रीनिंग कराकर अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों को चिन्हित कर उनका राशन कार्ड रद्द करने का निदेश दिया गया था एवं निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के विपरीत निर्गत राशन कार्ड को चिन्हित कर रद्द करने हेतु निदेश दिया गया था। साथ ही मृत/स्थायी रूप से निवास स्थान परिवर्तित लाभुकों का नाम हटाने एवं नये लाभुकों को नाम शामिल करने हेतु विस्तृत निदेश दिया गया है।

समीक्षा के क्रम में प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिले में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अभी भी मृत, जिनका स्थायी रूप से निवास स्थान परिवर्तित हो गया है, सरकारी सेवा में आ गये है, आयकरदाता हो गये है एवं मार्गदर्शक सिद्धांतों के विपरीत निर्गत राशन कार्ड धारकों के नाम से भी खाद्यान्न का उपावंटन एवं उठाव किया जा रहा है । साथ ही साथ, यह भी देखा जा रहा है कि महिला जिनकी शादी हो गई है उनका राशन कार्ड से नाम नहीं हटाया गया है तथा नये जन्मे बच्चे एवं शादी कर दूसरे जगह पर आयी महिला का नाम भी नहीं जोडा जा रहा है । उल्लेखनीय है कि उक्त हेतु बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तीन नई सेवाओं यथा नये राशन कार्ड का निर्गमन/राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटाना)/राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्दीकरण को शमिल किया गया है, जिसके आलोक में उपर्युक्त वर्णित प्रासंगिक पत्रों के द्वारा भी अविलंब कार्रवाई करते

हुए नियमानुसार नये पात्र लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत करने एवं अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड को रद्द करने का निदेश दिया गया । लेकिन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा रूचि नहीं लिये जाने के कारण उक्त कार्य में तेजी नहीं आ रही है जो कि अत्यंत ही खेदजनक है।

अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में पुनः निम्नवत् निदेश दिया जाता है :-

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक लाभुकों के पात्रता का भौतिक सत्यापन कराते हुए अपात्र लाभुकों/परिवारों के राशन कार्ड को रद्द करते हुए उनके विरूद्व विधिसम्मत् कार्रवाई की जाय ।
2. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नये पात्र परिवारों को राशन कार्ड निर्गत करने/राशन कार्ड में संशोधन करने की कार्रवाई यथाशीघ्र की जाय एवं खाद्यान्न का आवंटन भी पात्र लाभुकों के आधार पर ही किया जाय।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के पहचान हेतु विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट मिडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से किया जाय ताकि पात्र व्यक्तियों को ही उक्त योजना का लाभ मिल सके ।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक - प्र06-रा0का0II-02/2013 2381 खाद्य, पटना/दिनांक 21-05-2018

प्रतिलिपि - अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/ सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

D:\Year-2017\-SECTION-06-\Visidh Avi.doc